न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 36 / 2022

जीसीएमएस नम्बर :: 2022 / 267

अपीलाण्ट :– **बनाम** **रेस्पोडेण्ट्स :–**

हिमांशु राजपुरोहित पुत्र श्री श्रवणसिंह, जाति राजपुरोहित नाबालिग की वलिया दादी जमना देवी पत्नी श्री जगन्नाथ सिंह निवासी – 29 पुरोहितों का बास, पुनायता, पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

1. ओमसिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह
2. मालमसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह
5. संतोष पुत्री श्री जगन्नाथसिंह
6. कमला पुत्री श्री जगन्नाथसिंह
7. शारदा पत्नी रतनसिंह
8. नीतू कंवर पुत्री रतनसिंह
9. मंजू कंवर पुत्री रतनसिंह
10. शिवा कंवर पुत्री रतनसिंह
11. ज्योति कंवर पुत्री रतनसिंह
12. सूरजसिंह पुत्र श्री रतनसिंह नाबालिग की वली शारदा पत्नी श्री रतनसिंह, तमाम जातिगण राजपुरोहित निवासी – पुरोहितों का बास, पुनायता, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
13. भूमिधारी तहसीलदार, पाली

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा
अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, रेस्पो. संख्या 03 एवं रेस्पो. संख्या 07 लगायत रेस्पो. संख्या 12 की ओर से अधिकवक्ता श्री अशोक अरोडा

जिला कलक्टर, पाली

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 27.01.2026

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1154 दिनांक 16.07.2021 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01, रेस्पो. संख्या 03 एवं रेस्पो. संख्या 07 लगायत रेस्पो. संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हिमांशु राजपुरोहित नाबालिग है जो जमना देवी का पौत्र है व जमना देवी के पास ही हिमाशु रह रहा है व जमना देवी ही हिमांशु की देख रेख कर रही है। जगन्नाथसिंह पुत्र श्री हनुवन्तसिंह जाति राजपुरोहित ने अपनी सम्पत्ति जरिये वसीयत दिनांक 11.05.2021 को हिमांशु के पक्ष में कर दी थी। उस वसीयत में जमना देवी की भी साख है व जगन्नाथसिंह अपने पौत्र के पक्ष में चल अचल सम्पत्ति के संबंध में लिखवाकर निष्पादित कर दी है। वसीयत लिखान के बाद जगन्नाथसिंह का अचानक देहान्त दिनांक 14.05.2021 को हो गया व देहान्त होने के बाद अपीलाण्ट हिमांशु की वली की हैसियत से जगन्नाथजी के नाम आयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 वां हिस्सा जो जगन्नाथसिंह का था, उसका नामान्तरकरण नाबालिग हिमांशु के नाम भरने की प्रार्थना की परन्तु सम्बंधित अधिकारियों ने वसीयत पर कोई गौर नही कर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 12 व जमना देवी के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1154 दिनांक 16.07.2021 स्वीकृत किया गया जो निरस्त योग्य है, क्योंकि जगन्नाथजी ने अपनी कृषि भूमि जरिये वसीयत अपीलाण्ट को प्रदान कर दी थी, इसलिए उपरोक्त वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण नाबालिग पौत्र हिमांशु के नाम भरा जाना था व उस संबंध में जॉच कर नामान्तरकरण भरा था परन्तु राजस्व अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नही कर सिर्फ जगन्नाथ के वारिशों के नाम जैर नामान्तरकरण भर दिया, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि उपरोक्त भूमि जगन्नाथजी ने हिमांशु के नाम वसीयत कर दी थी, ऐसी स्थिति में जगन्नाथजी का नामान्तरकरण वसीयत के अनुसार अपीलाण्ट के नाम भरा जाना था परन्तु ऐसा नहीं हुआ व तमाम वारिसो के नाम नामान्तरकरण भर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 07 लगायत रेस्पो. संख्या 12 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर विवादित भूमियां जगनाथ सिंह के साथ-साथ उनके भाई प्रेमसिंह एवं देवीसिंह के शामलाती नाम थी, एवं उनके मध्य हकतर्क भी निष्पादित हुए थे। तद्नुसार जैर अपीलाधीन आराजी जगनाथ सिंह स्वयं द्वारा क्रय नहीं की होकर

जैर आराजी पुश्तैनी है। जगनाथ सिंह जी दिनांक 01.05.2021 से कोरोना की बीमारी से पीड़ित थे जो बांगड़ अस्पताल के कोरोना वॉर्ड में ही भर्ती थे एवं उसके उपरान्त उनकी 86 वर्ष की आयु में दिनांक 14.05.2021 को मृत्यु हो गई वसीयतनामा दिनांक 11.05.2021 को होना बताया है अर्थात जैर विवादित वसीयत मृत्यु से 03 दिन पूर्व ही अत्यन्त रूग्णावस्था में किया जाना बताया है। वसीयतकर्ता कोविड वॉर्ड में भर्ती थे जहां किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जाना संभव ही नहीं था। इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलाण्ट हिमांशु के पिता श्रवण सिंह भी जीवित है, फिर भी जगनाथ सिंह की पत्नी जमना देवी को बली बनाकर ही जैर अपील प्रस्तुत की गई है। जमनादेवी ने न्यायालय हाजा में जैर अपील पेश करने बाबत् कोई अनुमति प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया है। नामान्तरकरण एक सरसरी एवं वित्तीय प्रक्रिया है एवं अपीलाण्ट के हक अधिकारों का विनिश्चयन नामान्तरकरण की अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण जो कि जगन्नाथ जी की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसानों के नाम स्वीकृत हुआ है, नियमानुसार ही दर्ज किया गया है। अतः जैर अपील अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलाण्ट जरिये कुदरती वली दादी जमना देवी यह कहकर आता है कि उसके दादा जगनाथ सिंह ने दिनांक 11.05.2021 को अपनी सम्पति उनके पक्ष में कर दी थी तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 14.05.2021 को हो गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत दिनांक 11.05.2021 पर कोई गौर किये बिना जैर विवादित नामान्तरकरण संख्या 1154 दिनांक 16.07.2021 स्वीकृत कर दिया गया जबकि उक्त विरासत के नामान्तरकरण के संबंध में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही विवादित वसीयत की जांच की गई। अतएव जैर प्रकरण में विरासत के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन विवादित नामान्तकरण को निरस्त किया जावे। विपक्षी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, रेस्पो. संख्या 03 एवं रेस्पो. संख्या 07 लगायत रेस्पो. संख्या 12 ने अपने लिखित अभिकथनों में यह उज्र किया कि जैर विवादित भूमियां जगनाथ सिंह के साथ–साथ उनके भाई प्रेमसिंह एवं देवीसिंह के शामलाती नाम थी, एवं उनके मध्य हकतर्क भी निष्पादित हुए थे। तद्नुसार जैर अपीलाधीन आराजी जगनाथ सिंह

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

स्वयं द्वारा क्रय नहीं की होकर जैर आराजी पुश्तैनी है। जगनाथ सिंह जी दिनांक 01.05.2021 से कोरोना की बीमारी से पीड़ित थे जो बांगड़ अस्पताल के कोरोना वॉर्ड में ही भर्ती थे एवं उसके उपरान्त उनकी 86 वर्ष की आयु में दिनांक 14.05.2021 को मृत्यु हो गई वसीयतनामा दिनांक 11.05.2021 को होना बताया है अर्थात जैर विवादित वसीयत मृत्यु से 03 दिन पूर्व ही अत्यन्त रूग्णावस्था में किया जाना बताया है। वसीयतकर्ता कोविड वॉर्ड में भर्त्ती थे जहां किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जाना संभव ही नहीं था। इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलाण्ट हिमांशु के पिता श्रवण सिंह भी जीवित है, फिर भी जगनाथ सिंह की पत्नी जमना देवी को बली बनाकर ही जैर अपील प्रस्तुत की गई है। जमनादेवी ने न्यायालय हाजा में जैर अपील पेश करने बाबत् कोई अनुमति प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया है। नामान्तरकरण एक सरसरी एवं वित्तीय प्रक्रिया है एवं अपीलाण्ट के हक अधिकारों का विनिश्चयन नामान्तरकरण की अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने लिखित अभिकथन में भी हमारे द्वारा उपर्युक्त वर्णित कथनों को ही पुनरूद्धृत किया है।

जैर प्रकरण में मौलिक तथ्य यह है कि जैर आराजी पुश्तैनी होने के दस्तावेज रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये है अर्थात् जैर आराजी अकेले वसीयतकर्ता जगनाथ सिंह की नहीं थी। जगनाथ सिंह का कोविड की स्थिति में मृत्यु होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से परिलक्षित होता है, यह भी संदेह का एक कारण है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। सारभूत रूप से यह वसीयत अपंजीकृत है हालांकि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है परन्तु जैर नामान्तरकरण दर्ज होने से पहले प्राकृतिक विरासत के नामान्तरकरण को रोकने के लिए अपने पक्ष में वसीयत होने की सूचना अपीलाण्ट द्वारा संबंधित तहसीलदार को दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतएव जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के काल्पनिक प्रश्न पर विचारण किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जैर आराजी वसीयतकर्ता की अकेले स्वामित्व की हो यह भी पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक सरसरी एवं वित्तीय प्रक्रिया होती है एवं इसके माध्यम से पक्षकारों के हक अधिकारों का अन्तिम विनिश्चिन नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी अपनी अपनी बहुत सी न्यायिक नजीरों में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपंजीकृत वसीयत के नामान्तरकरण एवं विरासत के नामान्तरकरण में से विरासत के नामान्तरकरण को वरीयता दी जानी चाहिए एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर यदि अपीलाण्ट अपने हक अधिकार

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

मानता है तो उसे विधिवत सुनवाई हेतु सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर करना चाहिए। जैर प्रकरण में विवादित/अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राकृतिक विरासत के आधार पर खोला गया है, जिसमें हम अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण रूप से अपुष्ट एवं कानूनी प्रावधानों के अभाव में प्रस्तुत कथित वसीयत को उक्त प्राकृतिक विरासत के नामान्तरकरण से अमान्य नहीं कर सकते।

उपरोक्त समग्र विवेचन एवं हमारे द्वारा किये गये प्रेक्षणों के आधार पर अपीलाण्ट की जैर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं ग्राम पुनायता तहसील पाली के जैर नामान्तरकरण संख्या 1154 दिनांक 16.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली